

**प्रेस विज्ञप्ति / PRESS RELEASE**

**आईआरडीएआई 2021-22 - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) की सूची जारी करता है**

**IRDAI releases 2021-22 - List of Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs)**

एलआईसी, जीआईसी और न्यू इंडिया को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) के रूप में अभिनिर्धारित करना जारी है, जैसा कि 2020-21 की डी-एसआईआईएस की सूची में विद्यमान है।

LIC, GIC Re and New India continue to be identified as Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs), as in the 2020-21 list of D-SIIs.

वर्ष 2021-22 के लिए डी-एसआईआईएस की सूची निम्नानुसार है:

The list of D-SIIs for the year 2021-22 is as follows:

- 1. भारतीय जीवन बीमा निगम / Life Insurance Corporation of India;**
- 2. भारतीय साधारण बीमा निगम / General Insurance Corporation of India; और / and;**
- 3. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. / New India Assurance Co. Ltd.**

**पृष्ठभूमि / Background**

1. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) से ऐसे आकार, बाजार में महत्व तथा देशी और वैश्विक अंतर-संबद्धता से युक्त बीमाकर्ता निर्दिष्ट हैं जिनकी विपत्ति अथवा विफलता के कारण देशी वित्तीय प्रणाली में उल्लेखनीय अव्यवस्था हो सकती है। अतः डी-एसआईआईएस का निरंतर कार्यचालन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बीमा सेवाओं की अविच्छिन्न उपलब्धता के लिए अत्यावश्यक है।

Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs) refer to insurers of such size, market importance and domestic and global inter connectedness, whose distress or failure would cause a significant dislocation in the domestic financial system. Therefore, the continued functioning of D-SIIs is critical for the uninterrupted availability of insurance services to the national economy.

2. डी-एसआईआईएस को ऐसे बीमाकर्ताओं के रूप में माना गया है जो 'इतने अधिक बड़े अथवा इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं कि विफल नहीं हो सकते' (टीबीटीएफ)। यह अवबोधन और सरकारी समर्थन की अनुभूत प्रत्याशा जोखिम-ग्रहण को बढ़ा सकती है, बाजार अनुशासन को कम कर सकती है, प्रतिस्पर्धात्मक विकृतियों का निर्माण कर सकती है, तथा भविष्य में संकट की संभावना में वृद्धि कर सकती है। इन चिंताओं के कारण अपेक्षित है कि डी-एसआईआईएस को अतिरिक्त विनियामक उपायों

के अधीन कर दिया जाए जिससे प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक परिसंकट की समस्याओं से निपटा जा सके।

D-SIIs are perceived as insurers that are 'too big or too important to fail' (TBTF). This perception and the perceived expectation of government support may amplify risk taking, reduce market discipline, create competitive distortions, and increase the possibility of distress in future. These considerations require that D-SIIs should be subjected to additional regulatory measures to deal with the systemic risks and moral hazard issues.

3. डी-एसआईआईएस के परिचालनों के स्वरूप और प्रणालीगत महत्व को देखते हुए इन बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित के संबंध में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए:

Given the nature of their operations and the systemic importance of the D-SIIs, these insurers have to carry forward their efforts on the following:

- (i) कारपोरेट अभिशासन के स्तर का उन्नयन करना;  
Raise the level of corporate governance;
- (ii) सभी संगत जोखिमों की पहचान करना और एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंध ढाँचे और संस्कृति का संवर्धन करना।  
(ii) Identify all relevant risks and promote a sound risk management framework and culture.

4. डी-एसआईआईएस को संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन किया जा रहा है।  
D-SIIs are being subjected to enhanced regulatory supervision.